


Gen(XV)/(F)02/2017

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राज-पत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 27, बुधवार, शाके 1939-जनवरी 17, 2018 Pausa 27, Wednesday, Saka 1939-January 17, 2018	

भाग 4 (ग)

उप-खण्ड (I)

राज्य सरकार तथा अन्य राज्य-प्राधिकारियों द्वारा जारी किये गये (सामान्य आदेशों, उप-विधियों आदि को सम्मिलित करते हुए) सामान्य कानूनी नियम।

कार्मिक (क-ग्रुप-2) विभाग  
अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 16, 2018

जी.एस.आर.120 :-भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजस्थान के राज्यपाल, राजस्थान उच्च न्यायालय के परामर्श से, राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 को और संशोधित करने के लिए, इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन (संशोधन) नियम, 2018 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. नियम 3 में संशोधन.- राजस्थान जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय स्थापन नियम, 1986 के नियम 3 के खण्ड (ज) के विद्यमान उप-खण्ड (xiv) के पश्चात् निम्नलिखित नये उप-खण्ड अंतः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात्:-

“(xv) किराया अधिकरण

(xvi) अपील किराया अधिकरण।”

[संख्या एफ. 3(33)डीओपी/ए- II/85 पार्ट]

राज्यपाल के आदेश और नाम से,  
पुरुषोत्तम शर्मा,  
संयुक्त शासन सचिव।

DEPARTMENT OF PERSONNEL  
(A-Gr.II)  
NOTIFICATION

Jaipur, January 16, 2018

G.S.R.120 .-In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of

Rajasthan in consultation with the High Court of Judicature for Rajasthan hereby makes the following rules further to amend the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, namely :-

1. **Short title and commencement.**-(1) These rules may be called the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment (Amendment ) Rules, 2018.

(2) They shall come into force with immediate effect.

2. **Amendment in rule 3.**- After the existing sub-clause (xiv) of clause (j) of rule 3 of the Rajasthan District Courts Ministerial Establishment Rules, 1986, the following new sub-clauses shall be inserted, namely:-

"(xv) Rent Tribunal  
(xvi) Appellate Rent Tribunal."

[No.F.3(33)DOP/A-II/85 Pt.]

By Order and in the name of the Governor,  
पुरुषोत्तम शर्मा,  
Joint Secretary to the Government.

Government Central Press, Jaipur.

Jun/xv/(1) 02/2017